

फर्द अहकाम

पप्पुलाल बनाम श्री गारापतु के

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या

शुभम अज 20/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/2/25	<p>जारी है। प्राचीने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदकपरी प्रा. पत्र प्रत्युत्पिका में दुष्का विलम्ब भाष्य किया जाकर उक्त प्रपत्र को अकर विपक्ष सुधार करने का उचित उपका करण है।</p> <p>डा. प्राचीने ने दोराने कइस कथन किया कि प्राचीने अपनी कोरे ले पापर किए वाड की समुचित जानकारी रखने के लिए विधितः जाण्ड है। प्राचीने प्रकार की समुचित जानकारी गद्य होने के आधार पर किसी प्रकार की दूर प्राप्त करने के अधिकारी गद्य है। अतः प्राची का प्रपत्र निराधार क धार निराशाजनक रूप से समय बाधित होने से आसीकर कर कोरिज करमाया जाये।</p> <p>विधान अधिकारमतामण उभयपक्ष की कइस पर मनन करके एवं फतावली मय रिपार्डि के गहनतापूर्वक</p>

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

ख्या

क्रमांक 27/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/2/25	<p>कोलमिशन पर हम पाते हैं कि प्राची ने प्रापत्र अन्तर्गत क्लिप 09 नियम 09 अपठिल द्वारा 151 CPR देरी से पेश किया गया है। प्राची द्वारा आज्ञायरी प्रापत्र प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ किए जाने के लिए प्रापत्र अन्तर्गत धारा-5 मास्वीय गिपड अधिनियम पेश किया गया है। उक्त प्रापत्र में वर्णित तथ्य एवं परिस्थिति, आज्ञायरी प्रापत्र के प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ करने के लिए समुचित आधार नहीं है।</p> <p>हात! प्राची द्वारा पेश प्रापत्र अन्तर्गत आदेश 09 क्लिप 09 CPR पर बिना गुणाकउब पर विचार किए, गिपड अफर दिये आधारित किया जा रहा है।</p> <p>निर्णय हात दिनांक 27/2/25 को सुनाया गया। पतापती केवल सुनार अधिकार दाखिल करता है।</p>	

सहायक जलपटर
जयपुर शहर प्रथम